(12)

सं0 2714 / 29–6–2002–162 सा0 / 2001

प्रेषक,

श्री खंजन लाल
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

2. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 17 अगस्त, 2002

विषय – सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की उचित दर की दुकानों के आवंटन में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वित किये जाने हेतु आवंटन प्रारम्भ किये जाने हेतु नीति–निर्देश ।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–112 / 29–6–2002–162 सा0 / 2001, दिनांक 10 जनवरी, 2002 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा नगरीय / ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों एवं पेटी डीजल डीलर्स की नियुक्ति / आवंटन को स्थगित रखने के निर्देश दिये गये थे।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–919 / सत्रह–वि–1–2(क)–3–2002, दिनांक 06 जून, 2002 को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या – 2226 / 29–6–2001–162 सा0 / 2001, दिनांक 09 अक्टूबर, 2001 को अतिक्रमित करते हुए उचित दर की दुकानों के आवंटन / चयन हेतु निम्न आरक्षण व्यवस्था तत्काल प्रभाव से पुर्नस्थापित / लागू की जाती है :–

1– अनुसूचित जाति – 21 प्रतिशत
2– अनुसूचित जनजाति – 02 प्रतिशत
3– अन्य पिछड़े वर्ग – 27 प्रतिशत

3. उपर्युक्तानुसार आरक्षित श्रेणियों में निम्नलिखित होरिजेन्टल आरक्षण भी अनुमन्य होगा :–

(क) सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को – 20 प्रतिशत

क्रमशः..................2 पर

(ख) सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के लड़ाई मे मारे गये सैनिक के परिवार के सदस्य लड़ाई में घायल हुए सैनिक के परिवार के सदस्य, भूतपूर्व सैनिक — 08 प्रतिशत।

(ग) सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी पत्नी — 5 प्रतिशत ।

(घ) सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को — 02 प्रतिशत ।

इस शासनादेश के अनुसार वर्तमान में रिक्त दुकानों में आरक्षण के प्रतिशत का ध्यान रखा जायेगा किन्तु उक्त प्रतिशत को पूर्ण करने हेतु वर्तमान में चल रही दुकानों को निरस्त नहीं किया जायेगा। यदि कोई दुकान किसी कारणवश निरस्त होती है तब उस पर नई नियुक्ति के समय इस शासनादेश के अनुसार आरक्षण की कार्यवाही की जायेगी ।

4. (1) नगरीय क्षेत्र की दुकानों के आवंटन मे जनपद के एक नगर क्षेत्रको एक इकाई मानकर उपरोक्तानुसार आरक्षण की गणना की जायेगी ।

(2) वर्तमान में कार्यरत दुकानों की यथास्थिति बनाये रखते हुए जितनी रिक्तियाँ हैं उनमें 50 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। समय–समय पर आरक्षित वर्ग की दुकान की रिक्ति होने पर उसी वर्ग के अभ्यर्थी से भरी जायेगी ।

(3) इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0 3967/29–खाद्य–6–दिनांक 3 जुलाई, 1990 में दी गई शर्ते भी प्रभावी होंगी और यदि उक्त शासनादेश की शर्तो तथा वर्तमान शासनादेश की किसी शर्त/प्रतिबन्ध में विरोधाभाष हो तो वर्तमान शासनादेश की शर्ते एवं प्रतिबन्ध प्रभावी हेंगे ।

(4) कुल रिक्त दुकानों की संख्या निर्धारित होने के पश्चात् वर्गवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों हेतु दुकानों का चिन्हाँकन लाटरी पद्धति से किया जायेगा। इस पद्धति से प्रथम पर्ची अनुसूचित

क्रमशः.................3 पर

जाति/अनुसूचित जनजाति की दूसरी पर्ची अन्य पिछड़े वर्ग की तथा तीसरी पर्ची अनारक्षित की निकाली जायेगी। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक की आरक्षित वर्ग हेतु वाँछित संख्या की पूर्ति नहीं हो जाती है।

5. होरिजेन्टल आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु महिला, लड़ाई में मारे गये सैनिक परिवार के सदस्य/घायल सैनिक अथवा उनके परिवार के सदस्य भूतपूर्व सैनिक, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उनकी पत्नी तथा विकलांग व्यक्तियों के लिये आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु दुकानों का चिन्हाँकन निर्धारित प्रतिशत तक लाटरी पद्धति से किया जायेगा। प्रस्तर–3 के "क", "ख", "ग", "घ" हेतु प्रत्येक के लिये क्रमवार एक–एक पर्ची तब तक निकाली जायेगी जब तक निर्धारित आरक्षण का चिन्हाँकन पूर्ण नहीं हो जाता है।

6. नगरीय क्षेत्र में राशन की दुकानों का चिन्हाँकन एवं आवंटन निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा :–

1. जिलाधिकारी — अध्यक्ष
2. अपर जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी — संयोजक/सचिव
3. सम्बन्धित उपजिलाधिकारी — सदस्य
4. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग से जिलाधिकारी द्वारा नामित एक–एक अधिकारी।(यदि उपरोक्त अधिकारियों में से कोई इस वर्ग का हो तो अलग से नामाँकन करने की आवश्यकता नहीं होगी) — सदस्य

7. राशन की दुकानों का चयन उपर्युक्तानुसार गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताओं एवं शर्तो को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा :–

(क) अभ्यर्थियों के खाते में कम से कम 40 हजार रूपये उपलब्ध हों ताकि वह अपनी दुकान को आवंटित एक माह की सामग्री का एक बार में ही उठान करने के लिये आर्थिक रूप से सक्षम हो ।

क्रमशः.................4 पर

(ख) सामान्य ख्याति अच्छी हो ।

(ग) शिक्षित हो ताकि वह दुकान का हिसाव–किताब सही रूप से रख सके।

(घ) अभ्यर्थी को किसी राजपत्रित अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा ।

(ङ) अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई भी अपराधिक मामले पंजीकृत न हो और न ही वह किसी अपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो।

(च) अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक हो और परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम कोई दुकान आवंटित न हो।

(छ) दुकानदार स्थानीय निवासी हो ।

चिन्हॉकन के पश्चात् दुकानदारों का चयन लाटरी पद्धति से चयन समिति द्वारा किया जायेगा। होरिजेन्टल आरक्षण के अन्तर्गत यदि किसी स्थान पर उपयुक्त श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध नही होता है तब जिलाधिकारी को छूट होगी कि वह होरिजेन्टल श्रेणी के अन्तर्गत उस स्थान को किसी अन्य श्रेणी के लिए चिन्हॉकित कर दें एवं जिस श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था उस श्रेणी के लिये किसी अन्य स्थान को आवंटित कर दें जिससे होरिजेन्टल आरक्षण पूर्ण हो सके। यदि दुकानदार अच्छी ख्याति का हो, तब उसकी मृत्यु के उपरान्त दुकान का आवंटन उसके आश्रित को करने पर भी विचार किया जा सकता है। आश्रित का तात्पर्य पत्नी, पुत्र तथा अविवाहित पुत्री से है। यह उल्लेखनीय है कि अनारक्षित रिक्तियों के सापेक्ष किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है परन्तु आरक्षित वर्ग की रिक्तियाँ उसी वर्ग से भरी जायेगी ।

8. नगरीय क्षेत्र में कम से कम 3000 यूनिट पर उचित दर की दुकान नियुक्त की जाये और यदि सहकारी संस्था को दुकान आवंटित की जाती है तो उसके साथ 4000 यूनिट सम्बद्ध कीजाये। सहकारी संस्थाओं को अनिवार्यतः स्वयं दुकान चलानी होगी । वितरण में अनियमितता पाये जाने पर उक्त संस्था के सचिव के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी । साथ ही यह दुकान निजी क्षेत्र को आवंटित भी की जा सकेगी।

9. अभ्यर्थी द्वारा संलग्न फोटोयुक्त आवेदन पत्र के प्रारूप के साथ एक हजार

क्रमशः.................5 पर

12/2

रूपये अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट (जिलापूर्ति अधिकारी के पक्ष में) संलग्न किया जायेगा। उपरोक्त अर्नेस्ट मनी दुकानों के आवंटन की स्थिति में प्रतिभूति राशि में समायोजित की जायेगी और दुकान आवंटन न होने की स्थिति में आवेदक को वापस कर दी जायेगी ।

10. दुकानों की नियुक्ति की स्थिति में अभ्यर्थी को 5000/- (रूपये पाँच हजार मात्र) की प्रतिभूति जमा करनी होगी और 100/- रूपये का नान जुडीशियल स्टैम्प पेपर लगाना होगा। यह प्रतिभूति केवल नये नियुक्ति होने वाले दुकान के अभ्यर्थियों से ही ली जायेगी ।

11. (1) पूर्व में उचित दर की रिक्त दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र मांगे गये थे। वर्तमान व्यवस्था को लागू करते समय इन आवेदन पत्रों को निरस्त नहीं किया जायेगा अपितु आवेदकों से पुनः विकल्प मांगे जा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों से एक हजार रूपये अर्नेस्ट मनी की धनराशि पुनः नहीं जमा करायी जायेगी। यदि उनके द्वारा यह धनराशि पूर्व में जमा कर दी गई हो। इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में नये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाये। पूर्व में दिये गये आवेदन पत्रों को निरस्त न किया जाये। उनसे विकल्प लेकर उन्हें भी आवंटन/चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाये।

(2) शासनादेश 09 अक्टूबर, 01 के परिपालन में अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित 50 प्रतिशत रिक्तियों के सापेक्ष यदि चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई थी तो उन रिक्तियों को चयन / आवंटन की प्रक्रिया में पुनः सम्मिलित नहीं किया जायेगा एवं अवशेष रिक्तियों को पुनः विज्ञापित करके चयन की कार्यवाही की जायेगी तथा आरक्षित वर्ग हेतु निर्धारित 50 प्रतिशत रिक्तियों पर चयन की कार्यवाही इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में की जायेगी ।

12. चूँकि शासन स्तर पर उपलब्ध सूचनानुसार प्रदेश में लगभग सभी जनपदों में वर्तमान मे उचित दर की काफी दुकानें रिक्त चल रही है जिससे उपभोक्ताओं को सही समय पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। अतएव इन रिक्तियों को शीघ्र भरा जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

क्रमशः.................6 पर

2-8

इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार रिक्त दुकानो का चिन्हींकरण एवं चयन की अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कराकर आवंटन आदेश शीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(खंजन लाल)
प्रमुख सचिव ।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
3. समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उ0प्र0 ।
4. समस्त सहायक आयुक्त (खाद्य), उ0प्र0 ।
5. समस्त उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार चौधरी)
विशेष सचिव ।

सहायक आयुक्त (खाद्य) के पत्रांक 90 दिनांक 4/9/02 के साथ अभीष्ट कैट [illegible] 60 के साथ 07-9-02 को प्राप्त